

मदन सिंह,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

मदामें,  
समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग:

देहरादून: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2005

विषय: त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित प्रशासनिक कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकारों/दायित्वों को पंचायती राज संस्थाओं को संक्रमित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के लिए जनसामान्य के लाभार्थ एवं विकास की योजनाओं के नियोजन को जनोन्मुखी बनाने एवं सार्थक क्रियान्वयन हेतु जन सहभागिता आवश्यक है। अतः सरकार ने विकास कार्यों में सक्रिय जन सहयोग प्राप्त करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने का संकल्प लिया है। ग्राम पंचायतों को विकास की मौलिक तथा सक्षम इकाई के रूप में विकसित करने हेतु जिला स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर तथा ग्राम स्तरीय प्रशासनिक इकाईयों को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी बनाये जाने एवं इनके विकास संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए वांछित अधिकार संसाधन उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी आधार पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पूर्व में शासनादेश सं0-836/XIX/2005, दिनांक 20 मई, 2005 जारी किया गया था। शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 20 मई, 2005 को अवक्रमित करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वित्तीय/कार्यकारी अधिकारों और कार्मिकों पर सामान्य नियंत्रण त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सौंपने के संबंध में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभाओं को ग्रामीण क्षेत्र की राशन की दुकानों की नियुक्ति/निरस्तीकरण का जो अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये गये थे उन्हें संशोधित कर दिया जाय और विकेन्द्रीकृत व्यवस्था लागू होने के पूर्व की व्यवस्था लागू की जाय और पूर्व की भांति ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों की नियुक्ति/निरस्तीकरण का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया जाय।

2. ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को सम्पादित करने एवं जनता के प्रति पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि विभाग से सम्बद्ध कर्मी पंचायत व्यवस्था के सक्षम स्तर के अधीन कार्यरत रहे। पंचायत राज व्यवस्था में विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी कार्यों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण बनाये रखने से जहाँ एक ओर ग्रामों में रह रही जनता की आकांक्षाएँ पूर्ण करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्था में नीतिगत एकरूपता एवं समानता बनी रहेगी। विकेन्द्रीकरण और जनसहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग के कर्मचारियों को पंचायत राज व्यवस्था के अधीन रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रति - 306  
19/10/05

उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित कार्यों को सम्पादन, नियंत्रण तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों/दायित्वों का प्रतिनिधायन जिला स्तर/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नलिखित नाम निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा जिला स्तरीय/क्षेत्र पंचायत स्तरीय/ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत कार्यों को सम्पादित करायेंगे तथा विभाग के साथ ही पंचायत राज व्यवस्था के प्रति भी उत्तरदायी होंगे।

(क) जिला पंचायत स्तर पर अधिकारों/कर्तव्यों का संक्रमण/

प्रतिनिधायन कार्यकारी अधिकार/दायित्व

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन हेतु पूर्व निर्गत आदेशों के क्रम में नई व्यवस्था के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष/क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक प्रमुख को अब यह अधिकार होगा कि वह अब विकास खण्ड स्तर पर स्थित वितरण गोदाम, उसमें संग्रहित अनुसूचित वस्तुओं की प्राप्ति एवं वितरण का समय-समय पर अनुश्रवण/समीक्षा कर सकते हैं।
2. विकास खण्ड स्तर पर स्थित प्रत्येक वितरण गोदाम में उपलब्ध खाद्यान्न के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सुचारु रूप से संचालन हेतु की गई समीक्षा/अनुश्रवण के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष/क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक प्रमुख यदि कोई सुझाव देना चाहें तो उसे विभाग के जनपदीय/संभागीय अथवा विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर सकते हैं।

प्रशासनिक अधिकार/दायित्व

1. बी0पी0एल0/अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए पंचायत अधिकारियों/ बहुउद्देशीय कर्मों द्वारा ही सर्वेक्षण का कार्य किया जायेगा एवं राशन कार्ड बनवाये तथा वितरित किये जायेंगे।
2. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की उचित दर की दुकानदारों से उठाये गये खाद्यान्न/चीनी, मिट्टी तेल एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं राशन की दुकान में पहुँचने पर उन्नत भौतिक सत्यापन संबंधित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा एवं तत्पश्चात् उनका वितरण राशन कार्ड धारकों को दुकानदारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। अगले माह के खाद्यान्न की आपूर्ति किये जाने के पूर्व वितरित किये गये खाद्यान्न की प्रमाण पत्र एवं स्टॉक रजिस्टर पर अन्तिम अवशेष खाद्यान्न सत्यापन संबंधित क्षेत्र के ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक करें तथा इसी के आधार पर संबंधित गोदाम प्रभारियों द्वारा अगले माह के खाद्यान्न का कोटा राशन के दुकानदारों को निर्गत किया जायेगा तथा वितरित किये गये खाद्यान्न/मिट्टी तेल की प्रविष्टि गोदाम प्रभारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर में की जायेगी।
3. पंचायत विभाग द्वारा संचालित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायत विभाग द्वारा जारी कूपनों के आधार पर खाद्यान्न वितरण किया जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित, बाल पोषाहार योजना, जिसके अन्तर्गत, बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा 80 प्रतिशत उपस्थिति की छात्र संख्या की सूची के आधार पर खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी खाद्यान्न वितरण प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त ग्राम पंचायत अधिकारी/बहुउद्देशीय कर्मचारियों द्वारा भी खाद्यान्न वितरण प्रमाण-पत्र जारी किए जायेंगे।

(ख) सत्ता के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था के अन्तर्गत  
ग्रामीण क्षेत्र की उचित दर की दुकानों के  
चयन आदि की नई व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्र में उचित दर की दुकानों का चयन अब निम्न निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा:-

- (1) जिन ग्राम सभाओं में 4000 से अधिक यूनिट हैं वहां यदि ग्राम सभा यह महसूस करती है कि एक से अधिक दुकानें खोलने में लोगों को सुविधा होगी तो ग्राम सभा एक से अधिक दुकान खोलने का प्रस्ताव कर सकती है। उचित दर की दुकानों के चयन हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पारित कर किया जायेगा।
- (2) जिन ग्राम सभाओं में एक से अधिक दुकानें होंगी वहां यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दुकानों से लगभग बराबर-बराबर यूनिट सम्बद्ध रहें। गांव की दुकानें जहां तक सम्भव हो उस पुरवे/टोलै-मोहल्ले/मजरे में प्रस्तावित की जायें जहां परम्परागत रूप से अधिकांश उपभोक्ताओं का आना-जाना होता है।
- (3) शासनादेश संख्या-1230/29-6-99, दिनांक 22 मई, 1999 द्वारा पूर्व में ही उचित दर की दुकानों की नियुक्ति के लिए वरीयता क्रम समाप्त कर दिया गया है तथा निर्धारित की गई अनिवार्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ उपयुक्तता के आधार पर चयन किये जाने का मापदण्ड रखा गया है जिसके अनुसार चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (4) उचित दर की दुकानों के चयन के लिए पात्र व्यक्ति के लिए निम्न अर्हताएं अनिवार्य होंगी :-  
(क) उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तथा वह दुकान को आवंटित एक माह की सामग्री का एक बार में ही उठान करने में आर्थिक रूप से सक्षम हो।  
(ख) उसकी सामान्य ख्याति अच्छी हो।  
(ग) वह शिक्षित हो ताकि वह दुकान का हिसाब-किताब सही रूप से रख सके।  
(घ) कार्यरत शासन के दुकानदार की मृत्यु के फलस्वरूप यदि दुकानदार की ख्याति अच्छी रहे तो दुकानदार की विधवा अथवा अश्रित पुत्र को दुकान आवंटित की जा सकती है।
- (5) ग्राम प्रधान या उप प्रधान के परिवार के सदस्यों/संबंधियों के पक्ष में उचित दर के दुकान आवंटन का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा। परिवार की परिभाषा निम्नवत् होगी :-  
स्वयं स्त्री, पुत्र, अविवाहित पुत्री, भाला, भौई या अन्य कोई सदस्य जो साथ में रहता है तथा एक ही चूल्हे का धनी खाना खाता हो।
- (6) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित व्यक्ति को दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
- (7) उचित दर की दुकान के चयन के संबंध में ग्राम सभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर अब शासनादेश सं0-221/29-खा-6-2000-37सा0/99, दिनांक 13 जनवरी, 2000 (जायाप्रति संलग्न) में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (8) इस व्यवस्था के पूर्व से ग्रामीण क्षेत्र में नियमानुसार कार्यरत शासन के दुकानदारों की दुकान यथावत् चलती रहेगी। किन्तु इन पुराने दुकानदारों से करार गए पुराने अनुबंधों के स्थान पर तीन माह के अन्दर अनुबंध पत्र पर नया अनुबंध कराया जायेगा।

- (9) गम्भीर दुकानदार द्वारा अनुसूचित वस्तुओं के उठान एवं वितरण में अनियमितता एवं गड़बड़ी किये जाने पर शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से ऐसी जानकारी मिलने पर इसकी जांच ग्राम-पंचायत की प्रशासनिक समिति द्वारा की जायेगी। जांच आख्या तथा समस्त तथ्य ग्राम सभा की ग्रामीण बैठक में रखे जायेंगे जिन पर विचार-विमर्श के बाद बैठक में निर्णय लिया जायेगा। ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में जिलाधिकारी को प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा।
- (10) दुकान निलम्बित/निरस्त होने पर उप जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, निलम्बित/निरस्त दुकान से सम्बद्ध राशन कार्डों को पास की अन्य दुकान से सम्बद्ध करने के आदेश करेंगे।
- (11) नये दुकानदार के चयन अथवा पुराने दुकानदार की बहाली जैसी भी स्थिति हो के निर्णय के बाद उप जिलाधिकारी द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (12) ग्राम सभा के अतिरिक्त राशन के दुकानदार के कार्यों की जांच जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी तथा उप जिलाधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा अथवा शिकायत आदि मिलने पर की जा सकती है तथा गम्भीर अनियमितता की स्थिति में ये अधिकारी भी राशन की दुकानों के निलम्बन अथवा निरस्तीकरण के आदेश दे सकते हैं और ऐसे आदेश ग्राम सभा तथा दुकानदार पर बाध्यकारी होंगे।
- (13) जिले में तैनात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व राजस्व विभाग के, उत्तरांचल आवश्यक वस्तु वितरण अधिनियम 2003 में नामित प्रवर्तन अधिकारियों तथा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र की राशन की दुकानों की जांच के कार्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करते रहेंगे तथा गड़बड़ी पाये जाने पर गांव सभा तथा जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को सूचना देंगे ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
- (14) राशन की दुकानों के निलम्बन/निरस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध अपील सम्बन्धित मण्डल/राज्य के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इन मामलों में द्वितीय अपील की व्यवस्था नहीं होगी। यदि ग्राम सभा दुकान निरस्तीकरण का प्रस्ताव करती है, तो साथ ही उस नई दुकान की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव करना होगा, ताकि वितरण के कार्य में व्यवधान न हो।
- (15) राशन के दुकानदार द्वारा खाद्यान्न/चीनी/मिट्टी का तेल तथा अन्य अनुसूचित वस्तुओं के वितरण पर निगरानी हेतु ग्राम स्तर पर पूर्व में गठित सतर्कता समितियों को अब समाप्त कर दिया गया है। अब ग्राम-पंचायत की प्रशासनिक समिति ग्रामीण क्षेत्र की राशन की दुकान से वितरित होने वाली अनुसूचित वस्तुओं यथा खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल आदि पर निगरानी रखेगी तथा राशन की दुकान संबंधी समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी।
- (16) शासन द्वारा खाद्यान्न, चीनी तथा मिट्टी के तेल के उठान एवं वितरण के लिए एक समय सारिणी निर्धारित की गयी है। ग्राम सभा का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके अधीन दुकानदार शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समस्त अनुसूचित वस्तुओं का उठान एवं वितरण सुनिश्चित करें। चालू माह के अन्त तक दुकानदार द्वारा अगले माह वितरित की जाने वाली सामग्री यथा खाद्यान्न व चीनी का पूर्ण उठान निश्चित रूप से कर लिया जाना चाहिए ताकि माह की पहली तारीख से वितरण कार्य आरम्भ हो सके। यदि दुकानदार द्वारा इसमें स्थिरीकृत/उदासीनता बरती जाती है तो ग्राम सभा को दुकानदार के विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही करनी चाहिए।

दुकानों के संचालन आदि के संबंध में शासन, खाद्य आयुक्त तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्गत सभी आदेश ग्राम सभा तथा दुकानदार पर बाध्यकारी होंगे।

जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि उक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएँ तथा इस शासनादेश की प्रतियाँ जिले की प्रत्येक गांव सभा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।  
सलगनक-उपर्युक्त!

भूवदीय,  
(मदन सिंह)  
सचिव।

संख्या: 1609 (1)/XIX/2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. मण्डलायुक्त, पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल, देहरादून।
9. संभागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
10. सहायक आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी।
11. समस्त अपर जिलाधिकारी, आपूर्ति, उत्तरांचल।
12. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तरांचल को इस आशय से कि कृपया इस शासनादेश की प्रतियाँ जिले के सभी परगनाधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
13. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0सी0 उप्रेती)  
अपर सचिव।